न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....383/2023

सरकार बनाम विकास आदि

अंतर्गत धारा–498A,323/34,406, 504,506 भा०द०सं०एवं

धारा–3/4 दहेज प्रति०अधि०

थाना–विजयनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–1508/2021

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्ता श्रीमती उर्मिला को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि वादिनी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 01–12–2020 को आप अभियुक्ता के पुत्र विकास के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद से आप अभियुक्ता द्वारा (जो वादिनी की सास हैं) द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी से समय–समय पर अतिरिक्त दहेज में आई–20 कार की मॉग की गयी तथा वादिनी को इसके लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–498 ए. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि शादी के पश्चात् दिनांक 01–12–2020 से दिनांक 06–11–2021 के मध्य समय समय पर आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–323 सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि दिनांक 01–12–2020 से दिनांक 06–11–2021 के मध्य समय समय पर आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादिनी को गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि दिनांक 29–09–2021 को किसी समय आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया।इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि दिनांक 29–09–2021 को आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी का मंगलसूत्र व उसके कानों के कुण्डल निकालकर उसे वापस न किए जाकर आपराधिक न्यासभंग किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–406 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठम यह कि विवाह के पश्चात् विभिन्न दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी व उसके मायके वालों से अतिरिक्त दहेज में एक आई–20 कार की माँग की गयी व वादिनी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया। इस प्रकार आपने धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 24.11.2023

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.11.29 16:18:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बादहूं–

न्यायालय के संज्ञान में आया है कि अभियुक्ता के विरूद्ध विरचित किए गए उपरोक्त आरोपों के अंतर्गत धारा–313 भा०द०सं० का आरोप त्रुटिवश विरचित होने से रह गया है। अतः अभियुक्ता के विरूद्ध धारा–313 भा०द०सं० का आरोप विरचित किया जाता है।

सप्तमः यह कि शादी के पश्चात् जब वादिनी दो माह की गर्भवती थी, तब आपके पुत्र अभियुक्त विकास द्वारा उसे जीने से धक्का दिया गया जिसमें वादिनी के दो दाँत टूट गए तथा तदोपरांत जब वादिनी पाँच माह की गर्भवती थी तब आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ दिनांक 11–07–2021 को पुनः लात घूंसो से मारपीट की गयी तथा वादिनी के साथ की जा रही मारपीट में आयी चोटों के कारण वादिनी का गर्भपात हो गया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा–313 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 24.11.2023